मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः02.03.2025

थाना मड़िहान क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लुरकुटिया में सड़क किनारे खेत में मिले एक महिला के शव की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त पिकअप व आलाकत्ल बरामद —

थाना मड़िहान, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 01.03.2025 को वादी अशोक पुत्र सोमारू निवासी डुडवा धरमपुर थाना भदोही जनपद भदोही द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी के भाई की पत्नी (मालती) की हत्या कर शव को मड़िहान क्षेत्रांतर्गत खेत में फेकने व महिला (मालती) के पुत्र (रौनक) को मारने की नियत से पुल से नीचे फेकने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मड़िहान पर मु 0अ0सं0-48/2025 धारा 105,109 बीएनएस व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर "आर.पी.सिंह" व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "सोमेन बर्मा" द्वारा तत्समय घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन के नेतृत्व में पुलिस टीमें गठित कर घटना का यथाशीघ्र सफल अनावरण करने हेतु निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मड़िहान पर पंजीकृत उक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में सुरागरसी पतारसी व इलेक्ट्रानिक/भौतिक साक्ष्य संकलित करते हुए दिनांकः 02.03.2025 को थाना मड़िहान पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना मड़िहान क्षेत्र से घटना से सम्बन्धित अभियुक्त राजेन्द्र बिन्द पुत्र स्व 0 लालमन बिन्द निवासी सौरा थाना औराई जनपद भदोही को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल एक अदद सूजा बरामद किया गया तथा घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन संख्या UP65R6056 को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मड़िहान पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि महिला (मालती) करीब 03 वर्षों तक उसके साथ लिव-इन-रिलेशन में रही और बाद में करीब- 01 वर्ष पूर्व विनोद गौतम नाम के व्यक्ति के साथ शादी कर ली थी। मालती द्वारा बार-बार धमका कर राजेन्द्र बिन्द उपरोक्त से पैसे की मांग की जाती थी और फिर से उसी के साथ रहने के लिए दबाव बना रही थीं। जिससे परेशान होकर मालती से पीछा छुड़ाने के लिए मैने उसे बुलाकर उसकी हत्या कर शव को मड़िहान में सड़क किनारे खेत में फेंक दिया था तथा मालती के पुत्र रौनक को मारने की नीयत से पुल से नीचे फेंक दिया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

राजेन्द्र बिन्द पुत्र स्व0 लालमन बिन्द निवासी सौरा थाना औराई जनपद भदोही, उम्र करीब-45 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-48/2025 धारा 105,109 बीएनएस व 3(2)v एससी/एसटी थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

विवरण बरामदगी —

- एक अदद सूजा (आलाकत्ल)
- घटना में प्रयुक्त एक अदद पिकअप वाहन संख्याःUP65R6056

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

वरिष्ठ उप-निरीक्षक राजेश सिंह थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।
उप-निरीक्षक बाली मौर्या थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।
आरक्षी अंकित वर्मा व वीरभद्र यादव।

पुलिस